



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 24, 2012
(BHADRA 2, 1934 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 24th August, 2012

No. 23—HLA of 2012/54.—The Maharshi Dayanand University (Second Amendment) Bill, 2012, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 23—HLA of 2012

THE MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY (SECOND AMENDMENT) BILL, 2012

A

BILL

further to amend the Maharshi Dayanand University Act, 1975.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-third Year of the Republic of India as follow:—

1. This Act may be called the Maharshi Dayanand University (Second Amendment) Act, 2012. Short title.

2. After sub-section (2) of section 4 of the Maharshi Dayanand University Act, 1975, the following sub-section shall be added, namely:— Amendment of section 4 of Haryana Act 25 of 1975.

“(3) The University shall not open any off campus centre and study centre:

Provided that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the requisite infrastructure, the same shall continue to be administered by the University.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, —

- (i) “off campus centre” means a centre of the University, by whatever name called, established by it outside the main campus, operated and maintained as its constituent unit, having the University’s complement of facilities, faculty and staff; and
- (ii) “study centre” means a centre, by whatever name called, established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counselling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education.”

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In view of the judgement of Hon'ble Supreme Court in Prof. Yashpal *versus* State of Chhattisgarh case, the UGC requested the State Governments as under :- -

(i) To take suitable steps for amending the existing Acts so as to bring the same in conformity with the observations made by the Hon'ble Supreme Court of India and adhere the same in all future cases.

(ii) To stop all the State/State Private Universities in the State from operating beyond the territorial jurisdiction of the State in any manner either in the form of off-campus/study centre/affiliate college and the centres operating through franchises.

The Haryana Private Universities Act, 2006 has already been amended. Since the State has developed a sound institutional network with as many as 30 Universities, approximately 693 Colleges inclusive of Government, Government Aided and Self-Financing Colleges, two Post Graduate Regional Centres, it does not seem necessary for the State Universities to open study centres in the jurisdiction of State also.

Hence, this Bill.

GEETA BHUKKAL,
Education Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 24th August, 2012.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2012 का विधेयक संख्या 23 - एच० एल० ए०

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय अधिनियम, 1975,

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकता है।

1975 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 4 का संशोधन।

2. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उप-धारा (2) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ दी जाएगी, अर्थात् :—

“(3) विश्वविद्यालय कोई ऑफ कैम्पस केन्द्र तथा अध्ययन केन्द्र नहीं खोलेगा :

परन्तु यदि विश्वविद्यालय ने सभी अपेक्षित अवसंरचना सहित स्नातकोत्तर क्षेत्रीय केन्द्रों को पूरी तरह से सम्पोषित किया है, तो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित किया जाना जारी रहेगा।

व्याख्या.— इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “ऑफ कैम्पस केन्द्र” से अभिप्राय है,

विश्वविद्यालय की सुविधाओं, संकाय तथा अमले की पूरक रखने वाली इसकी घटक इकाई के रूप में, मुख्य कैम्पस के बाहर इसके द्वार स्थापित, संचालित तथा सम्पोषित विश्वविद्यालय का केन्द्र, चाहे किर्स भी नाम से पुकारा जाए ; तथा

(ii) “अध्ययन केन्द्र” से अभिप्राय है, दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में विद्यार्थियों द्वारा अपेक्षित सलाह देने, परामर्श देने या किसी अन्य सहायता को देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित तथा सम्पोषित या मान्यताप्राप्त केन्द्र, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए ।”।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

प्रो० यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सभी राज्य सरकारों को निम्नानुसार अनुरोध किया गया है:—

1. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई टिप्पणियों के अनुकूल समरूपता लाने हेतु एवं इसे भविष्य में सभी मामलों में समान रूप से लागू करने हेतु वर्तमान अधिनियमों में संशोधन करने के लिए उचित कदम उठाना।

2. सभी राजकीय/राज्य निजी विश्वविद्यालयों को, अपने प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र से बाहर, ऑफ-कैम्पस/अध्ययन केन्द्र/सम्बन्धित महाविद्यालय और फ्रैन्चाईजी माध्यम से किसी भी रूप में चल रहे केन्द्रों को बन्द करना।

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 में पहले ही संशोधन किया जा चुका है। चूंकि राज्य में मजबूत संस्थाओं का विकास हो चुका है जिसमें कि 30 विश्वविद्यालय, लगभग 693 महाविद्यालय जिसमें सरकारी, सरकार से सहायता प्राप्त एवं स्वयं वित्तपोषी अराजकीय महाविद्यालय शामिल हैं और दो स्नातकोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र हैं, इसलिये राज्य के अधिकार क्षेत्र में अध्ययन केन्द्रों को खोलना राज्य विश्वविद्यालयों के लिए आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

अतः बिल प्रस्तुत है।

गीता भुक्कल,
शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

वण्डीगढ़ :
24 अगस्त, 2012.

सुमित कुमार,
सचिव।